

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में

अम्बेडकर : एक विश्लेषण

वर्षा

एक दिन 10 साल की भूमिका ने क्लास में कहा, ‘मैम आप क्लास में डॉ. अम्बेडकर के बारे में ज्यादा क्यों नहीं बतातीं। किताबों में भी उनके बारे में कुछ अधिक नहीं मिलता’। उसके इस सवाल ने मुझे सोचने को मजबूर किया। जाति व्यवस्था के जहर के प्रति लगातार सचेत होने के बावजूद हमारे मन में यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया। इसके बाद से हमने सायास कक्षा में डॉ. अम्बेडकर के बारे में चर्चा शुरू की। उनके बारे में फिल्में देखीं और किताबें पढ़ीं। हमने अपनी पूरी क्लास के साथ (इसमें लगभग 10-13 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं) एकलव्य प्रकाशन द्वारा अम्बेडकर पर प्रकाशित शानदार सचित्र पुस्तक ‘भीमायन’¹ पढ़ी और अम्बेडकर के जीवन के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमने डॉ. अम्बेडकर के बारे में अध्ययन शुरू किया और साथ ही यह चिन्तन भी जारी रहा कि पाठ्यपुस्तकों में डॉ. अम्बेडकर के बारे में क्या सचमुच बहुत ही कम सामग्री दी हुई है। हमें भी हमारे शिक्षक ने कभी भी डॉ. अम्बेडकर के बारे में नहीं बताया और न ही हमारी पाठ्यपुस्तकों में इसका कुछ जिक्र था। क्या ऐसा किसी खास सचेत/अचेत पूर्वाग्रह के कारण है?

इसके बाद हमने सिलसिलेवार तरीके से डॉ. अम्बेडकर को एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की किताबों के पन्नों में तलाशना शुरू किया। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की इतिहास और राजनीति विज्ञान की किताबों के पन्नों में डॉ. अम्बेडकर का चित्रण बमुश्किल दो या तीन पन्नों में होगा। और जिस रूप में उनका चित्रण है, उस पर भी चर्चा हम अलग से करेंगे।

एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की किताबों में डॉ. अम्बेडकर

इस काम को अंजाम देने के लिए हमने एनसीईआरटी की निम्न किताबों को खंगाला :

1. Social And Political Life -part 1 text book for class 6th
2. Social And Political Life -part 2 text book for class 7th
3. Social And Political Life -part 3 text book for class 8th
4. Democratic Politics part 1- text book in Political Science for class 9th
5. Democratic Politics part 2- text book in Political Science for class 10th
6. Our Past -3 part 2-text book in History for class 8th
7. भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 कक्षा 12 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक

इनके अतिरिक्त एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की जो किताबें हैं उनका संबंध इस लेख से नहीं है। हमने इन किताबों को इस नजर से देखा कि इनमें डॉ. अम्बेडकर के बारे में कितनी है और क्या सामग्री है।

इन किताबों में जहां कहीं भी संविधान, भेदभाव, जाति व्यवस्था का जिक्र है वहां चन्द शब्दों या चन्द पंक्तियों में डॉ. अम्बेडकर का जिक्र है। इसमें सबसे ज्यादा जगह कक्षा 7: में पढ़ाई जाने वाली किताब *Social And Political Life -Part 1* में है। इस किताब में अध्याय 2 ‘डाइवर्सिटी ऐण्ड डिस्क्रिमिनेशन’ में भेदभाव का जिक्र करते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारत के सबसे महान नेताओं में से एक बताते हुए 9 साल की उम्र में डॉ. अम्बेडकर द्वारा झेले गए भेदभाव के पहले अनुभव का विस्तार से वर्णन है। यह घटना सन् 1901 में घटी थी जब वे अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने गोरे गांव गए थे। इसके बाद डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखित इस घटना का उद्धरण है। किताब में डॉ. अम्बेडकर का उद्धरण तो दिया है पर किताब का अपना कुछ विश्लेषण नहीं है। इसके अलावा एक बॉक्स में डॉ. अम्बेडकर का एक छोटा चित्र है और उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय है। इस परिचय में उन्हें **भारतीय संविधान का पिता और दलितों का नेता** बताया गया है¹ इसके बाद की पाठ्यपुस्तकों में डॉ. अम्बेडकर को मिलने वाली जगह लगातार कम होती गई है। कक्षा 7 की पुस्तक में हाशिये में डॉ. अम्बेडकर का एक चित्र है और उसके नीचे उनका उनका परिचय इस तरह दिया गया है “बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार संविधान सभा में उनकी मौजूदगी से अनुसूचित जातियों को संविधान के ड्राफ्ट में चन्द सुरक्षा मिली। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कानून होने के बावजूद अनुसूचित जाति के लोगों में अभी भी भय व्याप्त है क्योंकि इन कानूनों पर अभी भी ‘सर्व जाति के अधिकारियों’ का कब्जा है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों से अपील की कि वे सरकार और सिविल सर्विस में शामिल हों।”² (अनुवाद - लेखिका)

कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक *Democratic Politics part 1* में संविधान सभा में उनके प्रसिद्ध अन्तिम भाषण को उद्धृत किया गया है- “26 जनवरी, 1950 को हम अन्तर्राष्ट्रीयों के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें बराबरी मिली है और आर्थिक जीवन में हम गैरबराबर होंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धान्त का पालन करेंगे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे से संचालित होंगे, जहां एक व्यक्ति, एक मूल्य को नकारा जाना जारी रहेगा। हम कितने दिनों तक इस अन्तर्राष्ट्रीय भरे जीवन को जिएंगे। अगर हम लम्बे समय तक इसे नकारते रहेंगे तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।”³ (अनुवाद-लेखिका) इसके अलावा हाशिए में पुनः डॉ. अम्बेडकर का एक रेखाचित्र है और उनका परिचय दिया गया है। इसमें उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, सामाजिक क्रान्तिकारी चिंतक व जाति भेद और जाति आधारित असमानता के खिलाफ लड़ने वाला आन्दोलनकारी बताया गया है। साथ ही उन्हें आजाद भारत का कानून मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक भी बताया गया है।

कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक में जेंडर, धर्म और जाति पर एक अध्याय तो है पर उसमें डॉ. अम्बेडकर का कोई उल्लेख नहीं है।

आइये, अब इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का जायजा लें। कक्षा 6 व 7 की किताबें क्रमशः प्राचीन भारत व मध्य भारत के इतिहास पर हैं। कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक *Our Past - 3, part 2* में अध्याय 9 ‘वुमेन, कास्ट ऐण्ड रिफार्म’ में डॉ. अम्बेडकर का बेहद संक्षिप्त परिचय है और 1927 से 1935 के बीच डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में हुए मंदिर प्रवेश आन्दोलनों का जिक्र चन्द पंक्तियों में है।⁴ इसके बाद इसी पुस्तक में अध्याय 12 ‘इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस’ में डॉ. अम्बेडकर को **संविधान बनाने वालों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति** बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि उनके अनुसार सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा सामाजिक जनवाद जरूरी है। इसके बाद संविधान सभा में दिया गया उनका प्रसिद्ध अन्तिम भाषण है।⁵ जिसे हम पहले उद्धृत कर चुके हैं। इसके अलावा आश्चर्य है कि राष्ट्रीय आन्दोलन वाले अध्याय में डॉ. अम्बेडकर का कहीं उल्लेख नहीं है।

कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक ‘भारतीय इतिहास के कुछ विषय - भाग 3 में ‘संविधान का निर्माण’ अध्याय में एक बार फिर डॉ. अम्बेडकर का जिक्र आया है। “कांग्रेस के इस त्रिगुट (नेहरू, पटेल व राजेन्द्र प्रसाद) के अलावा **प्रख्यात विधिवेत्ता** और **अर्थशास्त्री** डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान डॉ. अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परन्तु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केन्द्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया।”⁹ इसके अलावा डॉ. अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया या हिन्दू कोड बिल का मसला क्या था, इस विषय में किताब कोई चर्चा नहीं करती। हाँ, पृष्ठ 410 पर लगभग आधे पन्ने का चित्र है जिस पर टैग है ‘डॉ. बी. आर. अम्बेडकर हिन्दू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं’।¹⁰ आगे चलकर संविधान में दलितों के अधिकारों को कैसे परिभाषित किया गया है इस विषय पर चर्चा करते हुए उल्लेख किया गया है - “राष्ट्रीय आन्दोलनों के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निवाचिकाओं की मांग की थी जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे।‘बंटवारे की हिंसा के बाद अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी थीं।’”¹¹

इसके अलावा 6 से 12 तक की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में आश्चर्यजनक रूप से डॉ. अम्बेडकर का उल्लेख लगभग नहीं है। कक्षा 12 की किताब में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आन्दोलन का पर्याय बताया गया है- “राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्रनिर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जार्ज वाशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष से हो ची मिन्ह को जोड़ कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का ‘पिता’ कहा गया है।”¹² इतिहास किसी एक व्यक्ति के बनाए बनता है क्या? यह एक विमर्श का विषय है जिसका हमारे इस लेख से फिलहाल कोई वास्ता नहीं।

दरअसल, इतिहासलेखन कभी भी पूरी तरह से वस्तुगत हो ही नहीं सकता। उस पर निश्चित रूप से इतिहासकार की अपनी विश्वदृष्टि का असर होगा ही। वह अपने उसी नजरिये से उन्हीं तथ्यों का चयन करेगी जो उसे पेश करना है। इसी तरह “सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें भी वस्तुगत नहीं हैं और वे हो भी नहीं सकतीं। उनमें क्या शामिल किया गया है और क्या छोड़ा गया है उससे विचारधारा और पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य परिलक्षित होता है। चाहे वह उद्देश्य लिखे गए हों या अलिखित हों”¹³ इतिहासकार ई. एच. कार का मानना है कि एक इतिहासकार के लिए वस्तुगत बने रहना असंभव है। उदाहरण के लिए इतिहास की कोई भी अवधारणा ‘सचेत’ या ‘अचेत’ रूप से उस समय में हमारी अपनी अवस्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। और हमारे उत्तर के एक हिस्से को उस बड़े सवाल के रूप में गढ़ती है कि हम समाज के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं।¹⁴

इस तरह कोई भी पाठ्यपुस्तक ‘पूर्वग्रह’ से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती है। इस आधार पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें भी नहीं हैं। खासतौर पर सामाजिक विज्ञान की किताबों में पेश डॉ. अम्बेडकर चित्रण तो बिल्कुल भी नहीं।

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में डॉ. अम्बेडकर का जिस तरह से चित्रण किया गया है उससे साफ है कि आजादी के बाद से ही इतिहास की किताबें जिस तरह से लिखी गईं वे निश्चित रूप से उच्च वर्णीय मानसिकता से ग्रसित हैं। संभवतः यही कारण है कि अपनी तमाम योग्यताओं के बावजूद इतिहास की किताबों ने डॉ. अम्बेडकर के साथ न्याय नहीं किया है। कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों में डॉ. अम्बेडकर का चित्रण इसकी स्पष्ट बानगी है। इन किताबों में डॉ. अम्बेडकर को बहुत ही कम शब्दों में बयान किया गया है। और जो किया भी गया है उसमें उनकी ऐसी छवि बनाई गई है कि वे **महज संविधान निर्माता** ही थे। उनकी एक दूसरी छवि यह बताई जाती है कि वे **दलितों के नेता** थे। केवल एक जगह हाशिये में उनके एक छोटे रेखाचित्र के साथ उन्हें ‘सामाजिक क्रान्तिकारी चिन्तक’ बताया

है।¹⁴ ऐसे वे क्यों थे या उनका क्या सामाजिक योगदान था जिससे वे क्रान्तिकारी चिंतक बने, इसका विवरण कहीं भी नहीं दिया है। दरअसल डॉ. अम्बेडकर को महज कुछ अकादमिक प्रतीकों में बांध देने से सर्वांग मानसिकता को डॉ. अम्बेडकर को सीमित करने में आसानी होती है। डॉ. अम्बेडकर को दर्शने वाले ये प्रतीक तुच्छ बुर्जुआ संकीर्ण विचारों से गढ़े गए हैं, जिसने दलित आन्दोलन को पूरी तरह से हथिया लिया है।¹⁵ दरअसल डॉ. अम्बेडकर न केवल संविधान निर्माता और दलितों के नेता थे बल्कि वे समूचे समाज के नेता थे, जिन्होंने न केवल दलितों को आत्मसम्मान से सिर उठाना सिखाया बल्कि उन्होंने सर्वों के भी एक बड़े हिस्से को उनकी कूटमगजता से बाहर निकाला और यह संदेश दिया कि असली मुक्ति इंसानियत की मुक्ति में ही है। डॉ. अम्बेडकर ने जब कभी भी और जहां कहीं भी शोषण महसूस किया वहीं उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज बुलान्द की। आबादी के पांचवे हिस्से को दो हजार सालों से भी ज्यादा समय से जानवरों से भी बदतर स्तर पर ले जाने और गुलाम बना कर रखने वाली जाति व्यवस्था- जो हिन्दू सामाजिक परम्पराओं द्वारा स्वीकृत असमानता के सबसे घिनौने संस्थानीकरण का प्रतिनिधित्व करती थी- डॉ. अम्बेडकर के जीवन का सबसे बड़ा निशाना बनी।¹⁶

डॉ. अम्बेडकर का योगदान

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने एक 'अछूत' परिवार में जन्म लिया था। और उनकी जाति ने आजीवन उनका पीछा नहीं छोड़ा। स्कूल में सार्वजनिक रूप से वह पानी नहीं छू सकते थे न ही वे सर्वांग बच्चों के साथ बैठ सकते थे। अमेरिका व इंग्लैंड से उच्चतम शिक्षा हासिल करने के बावजूद महाराजा गायकवाड़ का कर्ज उतारने के लिए उन्हें उनकी नौकरी तो मिल गई लेकिन बड़ौदा जैसे शहर में उन्हें रहने को घर नहीं मिला। उनका समूचा जीवन दलित होने के कारण अपमान का एक अंतहीन सिलसिला था। सम्भवतः इसीलिए उन्होंने जाति उच्छेद को अपने जीवन का मिशन बना लिया। अम्बेडकर के शब्दों में “जाति एक ऐसा राक्षस है जो आपका रास्ता जरूर काटेगा जब तक आप इस राक्षस को नहीं मारते तब तक आप न तो कोई राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और न ही आर्थिक सुधार कर सकते हैं।”¹⁷

20 मार्च 1927 को उन्होंने एक ऐसा काम किया जो समाज के जनवादीकरण के लिए हो रहे प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हजारों सालों की दासता को तोड़ते हुए पहली बार हजारों दलितों ने महाड़ में सर्वों के तालाब पर पानी पिया और उन्हें चुनौती दी। महाड़ सत्याग्रह ने, जिसके बारे में मराठी में गर्व से कहा जाता है कि यह वही घटना है जब ‘पानी में आग लगी थी’ और इसने न केवल दलित आत्मसम्मान की स्थापना की बल्कि एक स्वतन्त्र राजनीतिक-सामाजिक ताकत के तौर पर उनके भारतीय जनता के बीच आगमन का संकेत दे दिया था।¹⁸

इसी वर्ष 25 दिसम्बर को डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित व महिला विरोधी दस्तावेज मनुस्मृति का दहन किया गया। सन 1930-35 के बीच में उन्होंने मन्दिरों में दलितों के प्रवेश के जनवादी अधिकार को लेकर आन्दोलन किया। 1931 में वे गांधी के साथ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए और वहां उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मनवाई। जिसके विरोध में गांधी ने यरवडा जेल में चर्चित उपवास रखा। जिसके चलते भारी दबाव के तहत डॉ. अम्बेडकर को अपनी मांग छोड़नी पड़ी। और पूना पैकट करना पड़ा। 1936 में उन्होंने दलित मुक्ति का एक क्रान्तिकारी दस्तावेज लिखा- ‘जातिभेद का उच्छेद’। इसमें पहली बार उन्होंने दलितों को हिन्दू धर्म के कुत्सित धार्मिक चक्रव्यूह से बाहर निकालने का सैद्धान्तिक प्रयास किया और यहीं से दलितों के स्वतंत्र सामाजिक- राजनीतिक आन्दोलन के विकास की नींव पड़ी।

वर्ग व जाति के खात्मे के लिए उन्होंने ‘इन्डिपेंडेंट लेबर पार्टी’ का गठन किया जिसने महाराष्ट्र की फैकिट्रियों में कई महत्वपूर्ण आंदोलन छेड़े। डॉ. अम्बेडकर ने ‘मूकनायक’, ‘बहिष्कृत समाज’ ‘जनता’ व ‘प्रबुद्ध भारत’ जैसे पत्रों का सम्पादन किया। आगे चलकर गांधी की सलाह पर वह संविधान सभा में शामिल किए गए और संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। हम सभी अच्छी तरह से इस तथ्य से वाकिफ हैं कि चूंकि वह संविधान लिखने में शामिल थे इसीलिए संभवतः संविधान का मौजूदा स्वरूप कुछ प्रगतिशील कथ्य लिए हुए हैं और इसमें दलितों के अधिकारों के प्रावधान हैं वरना हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि उनके बिना इसमें क्या हुआ होता।

आजादी के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा और कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिन्दू महिलाओं के लिए सम्पत्ति में अधिकार दिलाने हेतु **हिन्दू कोड बिल** लाने का प्रगतिशील प्रयास किया। लेकिन सर्वण्ह हिन्दू नेताओं के दबाव में नेहरू जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले व्यक्ति ने इसे नहीं स्वीकार किया और क्षुब्ध होकर डॉ. अम्बेडकर ने मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया। जीवन के अन्तिम समय में डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया और एक हिन्दू के रूप में जीवन खत्म होने का उहें मलाल न रहा। 6 दिसम्बर 1956 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके निर्देश के अनुसार बनी 'रिपब्लिकन पार्टी' ने महाराष्ट्र के गांवों में कई जमीनदारी विरोधी आन्दोलन भी छेड़े। आज भी डॉ. अम्बेडकर के अनुयाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है और वे उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

निसंदेह डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज की एक ऐसी कुरीति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे जिसका वे स्वयं शिकार थे। वे भारतीय समाज को हजारों साल की वर्णवादी/जातिवादी गुलामी से मुक्त करना चाहते थे। पढ़-लिख कर उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे मुश्किल काम को समर्पित कर दिया। ये अलग बात है कि 70 साल के भारतीय 'जनवाद' ने देश से जाति को खत्म नहीं किया। जाति आज भी भारतीय सामाजिक ढांचे में रची बसी है। शादी व्याह से लेकर चुनाव व राजनीति तक जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत आज भी सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छुआछूत की छाया से मुक्त नहीं हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे 'सोशल एटीट्यूड रिसर्च इंडिया' (सारी) के एक सर्वे के द्वारा दिए गए आकड़े के अनुसार आज भी ग्रामीण राजस्थान के 66 प्रतिशत, ग्रामीण उत्तरप्रदेश के 64 प्रतिशत और दिल्ली शहर में 39 प्रतिशत लोग छुआछूत का व्यवहार करते हैं।¹⁹ इस देश में आज भी ऊना मौजूद हैं जहां दलितों को सरेआम अपमानित किया जाता है। आज समाज जिस जगह पर खड़ा है वहां डॉ. अम्बेडकर के कामों को आगे बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।

डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के लिए आत्मसम्मान की ऐसी अलख जलाई जिसकी ताप से आज दलित सिर उठा के चल सकता है और क्लास में बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि डॉ. अम्बेडकर के बारे में इतना कम क्यों है?

अतएव डॉ. अम्बेडकर का योगदान कहीं से किसी से भी कम नहीं था। जितना कि पाठ्यपुस्तकें उनकी अवहेलना करती हैं। यह सच है कि डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के आत्मसम्मान को जगाए रखने के लिए अपना जीवन लगा दिया लेकिन यह कहना कि वे केवल दलितों के नेता थे, एक गलत 'नैरेटिव' है। दरअसल वे पूरे समाज के नेता थे। जब भी समाज के जनवादीकरण की बात होगी तो डॉ. अम्बेडकर का योगदान सबसे चमकते अक्षरों में दर्ज होगा।

वहीं दूसरी ओर सम्भवतः सर्वण्ह होने के चलते गांधी को अपेक्षाकृत एक आसान जीवन हासिल हुआ था। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्हें कदम-कदम पर वह अपमान नहीं झेलना पड़ा था जो 'अछूत' होने के कारण डॉ. अम्बेडकर को झेलना पड़ा था। गांधी के जीवन का एकमात्र अपमान जब उन्हें गोरों के 'फर्स्ट क्लास' के डब्बे से बाहर धकेल दिया गया था, एक किंवदंती बन गया है। और जिसे डॉ. अम्बेडकर के आजीवन अपमान के दलदल में ही जीवन व्यतीत करने पर कहीं भारी दर्शाया गया है।

एनसीईआरटी की कक्षा 8 व कक्षा 12 की इतिहास की किताबों में (खासतौर से कक्षा 12 की किताब में) राष्ट्रीय आन्दोलन को गांधी का पर्याय बताया गया है। और उन पर किताब का एक बड़ा हिस्सा समर्पित है। कक्षा 12 की किताब में लगभग 30 पन्ने गांधी के योगदान पर हैं। उन पर अलग से एक पूरा अध्याय है - 'महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आन्दोलन' (पृ. 346-375)। लेकिन डॉ. अम्बेडकर के योगदान पर एक भी अध्याय इन किताबों में देखने को नहीं मिलता।

गांधी (1869-1948) और डॉ. अम्बेडकर (1891-1956) समकालीन थे और दोनों का समाज को देखने का अपना-अपना नजरिया था। डॉ. अम्बेडकर जाति व वर्ण दोनों का विनाश चाहते थे और इसे अलग-अलग करके नहीं देखते थे वहीं गांधी अंत तक वर्णव्यवस्था के समर्थक बने रहे। हालांकि वह 'अछूतों' का उद्धार तो चाहते थे लेकिन इसी वर्ण व्यवस्था के भीतर। जहां डॉ. अम्बेडकर देश के जनवादीकरण के लिए जाति के विनाश को अनिवार्य समझते

थे वहीं अपने 98 वाल्यूम के लेखन में गांधी ने कहीं भी यह नहीं स्वीकार किया कि उन्होंने वर्णव्यस्था को मानना छोड़ दिया है। इस तथ्य को पाठ्यपुस्तकें रेखांकित नहीं करतीं।

सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय आन्दोलन का एक उद्देश्य समाज का जनवादीकरण नहीं था? और जनवादीकरण का एक उद्देश्य क्या जाति का उच्छेद नहीं होता है, जिसके लिए डॉ. अम्बेडकर आजीवन संघर्षरत रहे... क्या राष्ट्रीय कार्यभार बिना जाति के खात्मे के पूरा हो सकता है? फिर पाठ्यपुस्तकों में उनकी इतनी उपेक्षा क्यों??? ◆

लेखिका परिचय : आनन्द निकेतन डेमोक्रेटिक स्कूल, भोपाल में अध्यापन से जुड़ी हैं।

संपर्क : मो. 8602307105, ईमेल : 2varshashree@gmail.com

संदर्भ :

1. भीमायन: अस्पृश्यता के अनुभव, एकलव्य प्रकाशन, डॉ. अम्बेडकर के जीवन की झलक के लिए देखें समूची किताब।
2. Social And Political Life -part 1 text book for class 6th P. 19-20
3. Social And Political Life -part 2 text book for class 7th P. 12
4. Social And Political Life -part 3 text book for class 8th P. 11
5. Democratic Politics part 1- text book in Political Science for class 9th in P. 48
6. Our Past - 3 part 2 text book in history for class 8th P. 118
7. Our Past - 3 part 2 text book in history for class 8th P. 164
8. भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 कक्षा 12 पृ. 409
9. भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 कक्षा 12 पृ. 410
10. भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 कक्षा 12 पृ. 421
11. भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 कक्षा 12 पृ. 346
12. 'स्टेटेड ऐण्ड अनस्टेटेड एम्स - आफ एनसीईआरटी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स' - केरेन हेडाक ईपीडब्ल्यू वाल्यूम, 50 अंक 17 पृ. 109-119 (2015) में प्रकाशित आलेख
13. कार 1961: 2, उद्घृत केरेन हेडाक, वही
14. डेमोक्रेटिक पालिटिक्स-1 टेक्स्टबुक इन पालिटिकल साइंस फार क्लास 9, पृ-488
15. उत्तर अम्बेडकर, दलित आन्दोलन: दशा और दिशा। आनन्द तेलतुम्डे, पृ-34
16. उत्तर अम्बेडकर, दलित आन्दोलन: दशा और दिशा, आनन्द तेलतुम्डे, पृ-45
17. जातिभेद का बीजनाश, डॉ. अम्बेडकर, पृ-31
18. बीसवीं सदी में डॉ. अम्बेडकर का सवाल, सुभाष गाताडे, पृ-167
19. इंडियन एक्सप्रेस 12 जनवरी 2018